



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2567]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/श्रावण 15, 1941

No. 2567]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2019/SHRAVANA 15, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

का.आ. 2826(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन (संशोधन) आदेश, 2019 है।
- (2) यह, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा;

1. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 के उप-खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) तद्-धीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत मात्रा की समग्र अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन, इस निमित्त बने किसी राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कृषि उपज के संविदा कृषि क्रेता को इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन स्टॉक सीमा के उपबंध लागू नहीं होंगे।”

[फा.सं. एस-10/4/2016 – ईसीआरएंडई]

ए.के. चौधरी, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929 (अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें – का.आ. सं. 3341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2016 ; का.आ. सं. 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017 और का.आ. सं. 1600(अ), तारीख 17 मई, 2017 का.आ. सं. 2785(अ) तारीख 25 अगस्त, 2017 तथा का.आ. सं. 3136(अ) तारीख 27 सितंबर, 2017 का.आ. 3397 (अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2017, का.आ. 3422 (अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2017 का.आ. 4079 (अ), 27 दिसंबर, 2017 और का.आ. 2414 (अ) तारीख, 13 जून, 2018 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 6th August, 2019

S.O. 2826(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

1. This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2019.
2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3 after sub-clause (3), the following sub-clause shall be inserted namely:—

“(4) the provisions relating to stock limit under any order made under the Act shall not apply to a contract farming purchaser of any agricultural produce registered under any State Act made in this behalf, subject to the overall ceiling of registered quantity specified thereunder.”

[F.No. S-10/4/2016-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O.2785 (E), dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September,2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October,2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October,2017, S.O. 4079(E), dated the 27th December,2017 and S.O. 2414(E) dated the 13th June, 2018.